उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

12/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में व्यस्त है/ दौरे पर है/मीटिंग में है। गतानुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 09/9/22 को पेश हो।

रीडर

जवाब प्रार्थना पत्र पेश। प्रतिलिपि की आदेश शा.मि. हो।

09/9/22 आज यह पत्रावली मूल दावा पत्रावली के साथ पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। आज वकील प्रार्थी ने उक्त पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 जा.दी. के बाबत का तहसीलदार मुण्डावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आ० ख०नं० 76 बाबत कब्जा काश्त व मौका स्थिति की रिपोर्ट चाहे जाने का पेश किया जिसकी नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। जिस पर वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि वादी/प्रार्थी ने वाद पत्र में ख०नं० 76 के बाबत अनुतोष चाहा है जिसमें वादी के अलावा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि सहखातेदार भी वादी के समान अधिकार रखते है। बिना पक्षकार बनाये आराजी के [illegible] उपाय नहीं हो सकते है मौके पर कब्जे का प्रश्न [illegible] जो मौका कमीश्नर रिपोर्ट से साबित करने के लिए मौका कमीश्नर नियुक्त किया जा सकता। [illegible] के बारे में प्रतिवादी को जानकारी नहीं है कि किसके नाम है जो वह वाद की विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:50:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विषय वस्तु नही है। विवाद की विषय वस्तु ख० नं० 76 व ख० नं० 71 के मध्य डोल है जिसका निस्तारण प्रार्थी द्वारा कराई गई पैमाईश से डोल के निशानात कायम हो जाते थे लेकिन वादी केवल उक्त पत्थरगढी को कायम करने के लिए ही वाद दायर किया है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा किसी के बाबत मौका के से समस्या का निदान नही होता है साथ ही कोई भी पक्षकार मौका निवासी नही होता है साथ ही कोई भी पक्षकार मौका कमीशन के जरिये अपने कब्जे की बाबत साक्ष्य एकत्रित नही करा सकता। प्रार्थी के केवल करने के लिए आदेश नही करा सकता। प्रार्थी ने केवल वाद की कार्यवाही को देरी करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र लगाया है क्योंकि प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन अन्तरिम आदेश जारी करा रखा है जो कि स्थगन आदेश पर बुनियादी आदेश करने के लिए देरी करना चाहते है आदि-आदि कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन रहा। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकुलाए को सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली का मय समस्त प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त उपपत्रकारान की ध्यानपूर्वक सुनी गई बहस पर यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 जा० दी० को अस्वीकार योग्य पाता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 जा० दी० खारीज की जाती है तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० टी० एक्ट के बाबत जवाब प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण प्रार्थना पत्र मूलवाद निश्चित किये जाने का निवेदन किया। वकीलान उपपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० टी० एक्ट के बाबत सुनी गई। दौरान बहस उ० वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pan
Date: 2022.11.22 15:50:4
Reason: SelfAttested

हुए अभिकथन किया कि ख० नं० 76 काश्त कार्यवाही करवाते
कि प्रार्थी व रामकिशन पुत्र सोहन जाति जाट लेकिन
प्रार्थी व रामकिशन पुत्र सोहन जाति ... में आया है व प्रार्थी एवं
सालोलीव परिवारवालों के हिस्से में आया है व प्रार्थी एवं
रामकिशन पुत्र सोहन का वास्तविक कब्जा है अभिकथन करते
हुए अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं होना अवगत कराते हुए
अप्रार्थी की आराजी ख० नं० 71 इसकी आ० ख० नं० 76 से
लगती हुई है जिसे वह रकबा पैमाइश कराकर अपत्यगोदी
कराना चाहता है निवेदन किया साथ ही प्रार्थी को अपूर्णीय
क्षति होना जाहिर करते हुए विवादित आराजी को न ही रकबे
वाही पैमाईश कराये और नाही पत्थरगढ़ी कराये का
अभिकथन करते हुए स्थगन वाद के निर्णय तक पूर्व में
जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को तारीख तल्ला
सम्पुष्ट किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी क्रम
में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को वकील अप्रार्थी ने
अस्वीकार करते हुए अपनी बहस के दौरान अभिकथन
किया कि मरवोर का कोई सबूत प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया
गया। आराजी ख० नं० 76 से लगती हुई अप्रार्थी की आराजी
ख० नं० 71 है तथा प्रार्थी के अप्रार्थी की आराजी भी पश्चिमी ढेल
को मिसमार करते हुए अप्रार्थी का रकबा दबा रखा है इसलिए
अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की पैमाईश दिनांक 16/11/2021 को
कराई तो रकबा अप्रार्थी द्वारा दबाना पाया गया तथा उक्त
पैमाईश के आधार पर अप्रार्थी ने अदालत श्रीमान के पत्थरगढ़ी
का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसे रोकने के लिए प्रार्थी ने
दावा हु० ई० को पेश कर ख० नं० 76 व 71 के [illegible]
यथास्थिति बनाये रखने बाबत एक पक्षीय प्रतिपक्ष्यागन आदेश दिनांक
12/01/22 को जारी करवाया है जबकि ख० नं० 71 [illegible]
को सम्बन्ध सरोकार नहीं है प्रार्थी/वादी ख० नं० [illegible]
है नाही वादी ने ख० नं० 71 के लिए घोषणात्मक अनुतोषचाहा
तो प्रार्थी ख० नं० 71 के बाबत वाद पेश करके व स्थगन आदेश
जारी करवाने का अधिकार नहीं रखता है अभिकथन करते
हुए अवगत कराया कि वादी। प्रार्थी ने अपने ख० नं० 76 की पैमाइश

उपखण्ड अधिकारी
भुण्डोवर ([illegible]) राज०

[signature]

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2022.11.22
Reason: SelfAttes

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हु

आज तक नहीं किया थी केवल मात्र प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा पत्रावली को रोकने के लिए गलत तथ्यों व आधारहीन अभिकथनों के आधार पर वाद पत्र पेश कर के कानूनी रूप से तथ्यों को छिपाकर स्थगन आदेश जारी करवाया है जबकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है जिसे हेतु कोई भी किसी भी तरह रोक लगाने का अधिकार नहीं रखता है। वादी/प्रार्थी के वाद विधि के प्रावधानों के खिलाफ कदमान्ती से बिना किसी वाद कारण के आत्पन्न उत्तुतोष के केवल अप्रार्थी को तंग परेशान करने व प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा पेश पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को बाधित करने के लिए पेश किया है जो हारिज के काबिल है अभिकथन करते हुए निवेदन रहा कि वादी/प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि दिनांक 16/11/22 को हुई पैमाइश के अनुसार (व०क०) की पत्थरगढ़ी करने से वादी के अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो जायेंगे निवेदन करते हुए प्रार्थी की प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अभिकथन किया।

वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र के बाबत उपरोक्त न्यायपूर्वक बहस सुनी गई/ पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय प्रथम दृष्टया प्रकरण वाले बिन्दु को प्रार्थी के विरुद्ध पाते हुए बहक अप्रार्थी स्वीकार योग्य पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण वाले बिन्दु को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में सुविधा का सन्तुलन वाले बिन्दु को भी विरुद्ध प्रार्थी पाया जाकर बहक अप्रार्थी स्वीकार योग्य पाता है और प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा के सन्तुलन वाले दोनों ही बिन्दुओं को बहक अप्रार्थी पाये जाने की सूरत में नाप्रति होने वाली क्षति के बिन्दु को भी यह न्यायालय स्पष्ट रूप से बहक के खिलाफ प्रार्थी पाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

लगातार - -

Signature Not V

Digitally signed by
Date: 2022.11.22 1
Reason: SelfAtte

क्रमागत--

आपत्ति स्वीकार योग्य पाता है। अन्ततः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है एवं पूर्व दिनांक 12/01/2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारीज किये जाते हैं। पत्रावली निर्णित करार हो सम्बद्ध कर हो। बाद तकमील शामिल दावा पत्रावली रहे। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:50:49 IST
Reason: SelfAttested